

प्रारंभिक परीक्षा

गन्ने के FRP में बढ़ोतरी

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य(FRP) को मंजूरी दे दी है।

उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) के बारे में -

- FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलें कानूनी रूप से गन्ना किसानों को उनके द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।
- FRP का निर्धारण कौन करता है?
 - केंद्र सरकार: आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA)
 - कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित।
- FRP का भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 द्वारा नियंत्रित होता है। यह अनिवार्य करता है कि मिलें गन्ना वितरण के 14 दिनों के भीतर FRP का भुगतान करें।
- यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को चीनी मिलों के मुनाफे की परवाह किए बिना उचित लाभ मिले और यह पूरे भारत में समान रूप से लागू हो।
- कुछ राज्य FRP के अतिरिक्त अतिरिक्त राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) की पेशकश करते हैं।
- FRP तय करते समय विचार किये जाने वाले कारक:
 - गन्ना उत्पादन की लागत।
 - वैकल्पिक फसलों से आय।
 - उपभोक्ता चीनी की कीमतें।
 - चीनी की बिक्री कीमत।
 - गन्ना से चीनी की रिकवरी दर।
 - उप-उत्पादों (जैसे, गुड़, खोई) से आय।
 - गन्ना उत्पादकों के लिए पर्याप्त लाभ मार्जिन।

गन्ना फसल के बारे में -

- बढ़ने की स्थितियाँ:
 - यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे पकने में 10 से 18 महीने लगते हैं।
 - तापमान: 21-27°C के बीच, गर्म एवं आर्द्र जलवायु।
 - वर्षा: लगभग 75-100 सेमी.
 - अत्यधिक वर्षा से शर्करा की मात्रा कम हो सकती है, जबकि अपर्याप्त वर्षा से रेशेदार फसलें पैदा होती हैं।
 - मिट्टी का प्रकार: गहरी, उपजाऊ दोमट मिट्टी।
- शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य: (1) उत्तर प्रदेश (2) महाराष्ट्र (3) कर्नाटक।
- भारत में विश्व में गन्ने की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है।

चीनी उद्योग -

- भारत चीनी का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता (विश्व का सबसे बड़ा) देश है।
- 50 मिलियन गन्ना किसान और लगभग 5 लाख श्रमिक चीनी मिलों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं।
- शीर्ष चीनी उत्पादक देश: (1) ब्राज़ील (2) भारत (3) थाईलैंड (4) चीन।

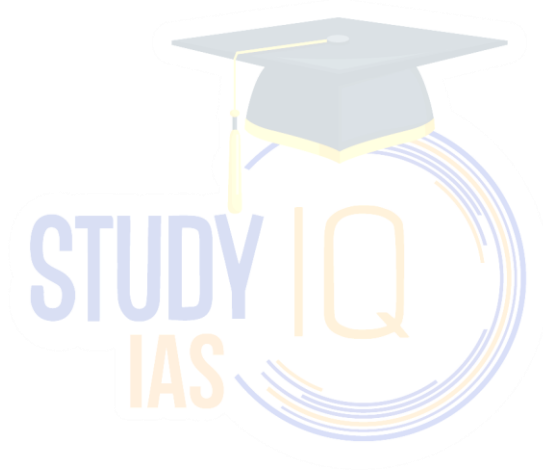
यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है: (2015)

- (a) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति
- (b) कृषि लागत और मूल्य आयोग
- (c) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय
- (d) कृषि उपज मंडी समिति

उत्तर: (a)

स्रोत: [Indian Express - FRP](#)



समाचार संक्षेप में

जगद्गुरु बसवेश्वर

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसव जयंती पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि दी।

जगद्गुरु बसवेश्वर के बारे में -

- उनका जन्म 1131 ई. में कर्नाटक के बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
- वह 12वीं सदी के कन्नड़ समाज सुधारक, कवि और दार्शनिक थे।
- उन्होंने लिंगायत या वीरशैव आंदोलन की स्थापना की।
- वचन साहित्य: उन्होंने कन्नड़ में 600 से अधिक "वचन" - लघु, शक्तिशाली काव्य छंदों की रचना की।
- उन्होंने अनुभव मंडप की भी स्थापना की:
 - यह कल्याण में एक लोकतांत्रिक आध्यात्मिक संसद थी।
 - इसमें महिलाओं सहित सभी जातियों के संत शामिल थे।
- सामाजिक योगदान:
 - उन्होंने जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और छुआछूत का कड़ा विरोध किया।
 - उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया
 - प्रमुख मान्यताएं: कयाक (कर्म ही पूजा है), दसोहा (धन का समान वितरण)।



स्रोत: PIB - Jagadguru

निकट सतही अपरूपण परत (NSSL)

- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के वैज्ञानिकों सहित अंतर्राष्ट्रीय सौर भौतिकविदों की एक टीम ने सूर्य के NSSL में गतिशील प्लाज्मा धाराओं का मानचित्रण किया।

NSSL के बारे में -

- यह सूर्य का एक उपसतह क्षेत्र है जो प्रकाशमंडल के ठीक नीचे, लगभग 35,000 किमी गहराई पर स्थित है।
- यह परत गहराई के साथ घूर्णन गति में परिवर्तन दर्शाती है - भूमध्य रेखा पर तेज़, ध्रुवों के पास धीमी।
- यह अध्ययन करना महत्वपूर्ण है कि चुंबकीय क्षेत्र और सौर धब्बे किस प्रकार विकसित होते हैं।
- सूर्य का कोणीय वेग (घूर्णन गति) त्रिज्या के साथ तेजी से घटता है, जिससे एक घूर्णी कतरनी (rotational shear) बनती है जो गहराई, अक्षांश और सौर चुंबकीय गतिविधि के साथ बदलती रहती है।
- प्रयुक्त तकनीक: हीलियोसिस्मोलॉजी - आंतरिक प्रवाह पैटर्न का अनुमान लगाने के लिए सूर्य के माध्यम से ध्वनि तरंगों के प्रवाह का निरीक्षण करती है।
- अध्ययन का महत्व:
 - अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में मदद करता है: सौर ज्वालाएं, कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई), पृथ्वी पर उपग्रहों, विद्युत ग्रिडों और संचार प्रणालियों पर प्रभाव।

सौर चक्र के चरण -

- सौर अधिकतम (Solar Maximum):
 - यह तब घटित होता है जब सूर्य सबसे अधिक सक्रिय होता है।
 - इस चरण के दौरान चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है।
 - सूर्य अंतरिक्ष में विकिरण और कणों का तीव्र विस्फोट छोड़ता है।

- सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) में वृद्धि होती है।
- **सौर न्यूनतम(Solar Minimum):**
 - सूर्य का सबसे कम सक्रिय चरण।
 - सूर्य के धब्बे, ज्वालाएँ और विस्फोट काफी हद तक कम हो जाते हैं।

स्रोत: [PIB - NSSL](#)

रघुजी भोंसले-I

- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में रघुजी भोंसले की ऐतिहासिक तलवार खरीदी।

रघुजी राजे भोंसले-प्रथम कौन थे?

- रघुजी भोंसले प्रथम 18वीं सदी के मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।
- **1728 में अपने चाचा कान्होजी भोंसले को चुनौती देने के लिए उन्हें छत्रपति शाहू का समर्थन प्राप्त था।**
- उन्होंने **भाम की घेराबंदी (1730)** में एक बड़ी जीत हासिल की - एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ जिसने उनकी शक्ति को मजबूत किया।
- **रघुजी भोंसले प्रथम के प्रमुख योगदान:**
 - **1751 में नवाब अलीवर्दी खान के साथ संधि के बाद ओडिशा (उड़ीसा) पर कब्जा कर लिया।**
 - ओडिशा पर नियंत्रण करने के बाद, उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 - बंगाल में अभियान का नेतृत्व किया (1745-1755)।
 - **विस्तारित नियंत्रण:** बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।

नागपुर भोंसले के बारे में -

- एक शाही मराठा वंश (जैसे पेशवा, होल्कर, सिंधिया और गायकवाड़)।
- पुणे के निकट हिंगाणी क्षेत्र से उनके पैतृक संबंध के कारण उन्हें **हिंगणीकर** के नाम से भी जाना जाता था।
- मध्य और पूर्वी भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई।

तलवार भारत से कैसे चली गई?

- **सीताबर्डी की लड़ाई (1817) के बाद, अंग्रेजों ने नागपुर भोंसले को हरा दिया।**
- भोंसले महल को लूट लिया गया और हथियारों सहित खजाने को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया।
- **तलवार संभवतः**
 - लूटा गया युद्ध खजाना या पराजय के दौरान या उसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों को दिया गया उपहार था।



स्रोत: [Indian Express - Raghuji Bhonsle](#)

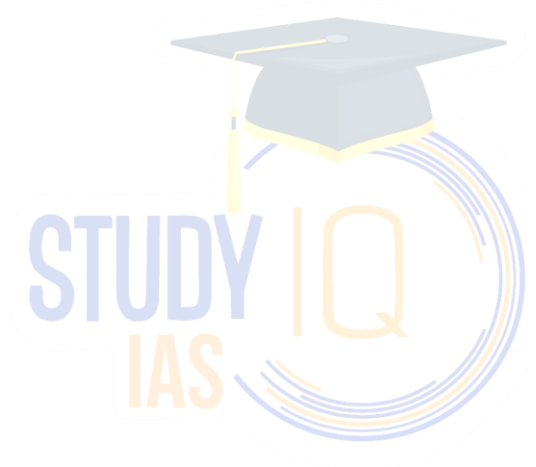
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB)

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है और पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है।

NSAB के बारे में -

- यह एक सलाहकार निकाय है जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससी) को इनपुट प्रदान करता है।
- इसमें सरकार से बाहर के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का एक समूह शामिल है।
- सदस्य आमतौर पर वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं, नागरिक तथा सैन्य दोनों, जिनके पास आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा, विदेशी मामले, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक मामलों में विशेषज्ञता होती है।
- **कार्य:**
 - दीर्घकालिक विश्लेषण करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर एनएससी को परिप्रेक्ष्य प्रदान करना।
 - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित मुद्दों पर उपाय/समाधान और नीति विकल्पों की सिफारिश करना।

स्रोत: [The Hindu - NSAB](#)



संपादकीय सारांश

वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवधान

संदर्भ

समकालीन विश्व अभूतपूर्व भू-राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, जो अस्थिर नेतृत्व, बदलती सत्ता संरचनाओं और फिर से उभरते क्षेत्रीय संघर्षों से प्रेरित है।

वर्तमान वैश्विक संकट क्या हैं?

- **संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस):** राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कूटनीति और संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों, विशेष रूप से टैरिफ युद्ध के प्रति लेन-देन संबंधी दृष्टिकोण ने वैश्विक अस्थिरता को बढ़ा दिया।
 - अमेरिका, जो कभी लोकतांत्रिक स्थिरता का प्रतीक था, अब गहरे आंतरिक विभाजन और घटते वैश्विक प्रभाव से जूझ रहा है, जो शत्रुतापूर्ण आतंकवाद नीतियों और शैक्षणिक संस्थानों पर हमलों से चिह्नित है।
 - उदाहरण के लिए, विदेशी छात्रों पर प्रतिबंध (जो प्रति वर्ष 40 बिलियन डॉलर से अधिक का योगदान करते हैं और 400,000 से अधिक नौकरियों का समर्थन करते हैं) अमेरिकी सॉफ्ट पावर और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं।
- **यूरोप:** यूक्रेन विवाद और नाटो के भविष्य पर संदेह के कारण यूरोप कमजोर हो गया है।
- **पश्चिम एशिया:** गाजा और सीरिया में इजरायल का आक्रामक रुख, पश्चिमी निष्क्रियता से समर्थित, क्षेत्रीय भूगोल को नया आकार देने के प्रयास का संकेत देता है।
 - ईरान पर संभावित इजरायली हमले और तुर्की में अशांति से तनाव और बढ़ गया है।
- **अफ्रीका:** इथियोपिया-इरीट्रिया जैसे पुराने संघर्ष फिर से उभर आये हैं।
 - अफ्रीका और एशिया (जैसे मोजाम्बिक, कांगो, उत्तरी अफ्रीका और अफगानिस्तान) में इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठनों का पुनरुत्थान सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है।
- **एशिया:**
 - **अफगानिस्तान और पाकिस्तान:** अफगानिस्तान और पाकिस्तान गंभीर आंतरिक अराजकता और आतंकवाद में वृद्धि का सामना कर रहे हैं।
 - **बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल:** बांग्लादेश (शासन संबंधी मुद्दे), म्यांमार (तख्तापलट के बाद का संघर्ष) और नेपाल (राजनीतिक अनिश्चितता) में आंतरिक अस्थिरता व्याप्त है, जिससे क्षेत्रीय सामंजस्य कमजोर हो रहा है।
 - **चीन की मुखरता:** आर्थिक मंदी के बीच, चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है, अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला कर रहा है, और दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक और शांति आक्रमण के माध्यम से प्रभाव बढ़ा रहा है।
 - **एशिया में भू-राजनीतिक झुकाव:** अमेरिका के पीछे हटने के साथ, कई एशियाई देश चीन की ओर झुक रहे हैं, जो अपनी नाइन-डैश लाइन से आगे, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने नौसैनिक पदचिह्न का विस्तार कर रहा है।
 - **भारत-चीन तनाव:** हाल के सीमा समझौतों के बावजूद, भारत-चीन के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता बनी हुई है, जिसके कारण भारत को अफगान-पाक आधारित आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष -

- विश्व एक नई अव्यवस्था में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण हैं:
 - विघटनकारी नेतृत्व
 - बहुपक्षीय संस्थाओं का विघटन
 - आर्थिक असमानता का बढ़ना

- तकनीकी और सैन्य बदलाव
- पुरानी विश्व व्यवस्था" ढह रही है, तथा इसका कोई स्थायी प्रतिस्थापन अभी तक नजर नहीं आ रहा है।
- अमेरिका से लेकर एशिया और पश्चिम एशिया तक दुनिया भर के क्षेत्र गहरे विखंडन से गुजर रहे हैं, जिसके लिए भारत जैसे देशों को रणनीतिक चपलता, क्षेत्रीय सतर्कता और आंतरिक लचीलापन अपनाने की आवश्यकता है।

वैश्विक क्षेत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण		
क्षेत्र/देश	कोविड-पूर्व परिदृश्य	कोविड-पश्चात परिदृश्य
संयुक्त राज्य अमेरिका	स्थिर जीडीपी वृद्धि (2019 में ~2.3%) व्यापार प्रभुत्व वित्त और सैन्य क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व	मुद्रास्फीति में उछाल (2022 में 9.1% के शिखर पर) उच्च सार्वजनिक ऋण (2025 में सकल घरेलू उत्पाद का ~123%) ट्रम्प की "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत संरक्षणवादी व्यापार
यूरोपीय संघ	→ आर्थिक एकीकरण, एकल बाज़ार → ब्रेक्सिट लंबित, लेकिन अभी भी एकजुटता → मध्यम वृद्धि (2019 में 1.6%)	→ ब्रेक्सिट पूरा हुआ (2020) → रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा संकट → सुस्त वृद्धि, 2023 में 0.8%
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए)	→ तेल-संचालित अर्थव्यवस्थाएँ → युवा वर्ग में उच्च बेरोजगारी → चल रही क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता	→ तेल की कीमतें अस्थिर → संघर्ष बढ़े (जैसे, गाजा, सीरिया) → आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा (सऊदी विज़न 2030)
अफ्रीका	→ जीडीपी वृद्धि 3.4% (2019) → बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश → ऋण मध्यम रूप से उच्च (जीडीपी का ~50%)	→ यूक्रेन युद्ध के बाद खाद्य सुरक्षा के मुद्दे → 22 से अधिक देशों में ऋण संकट
चीन	→ विनिर्माण केंद्र → 6%+ वार्षिक जीडीपी वृद्धि → बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का विस्तार	→ 2023 में विकास दर धीमी होकर 5.2% पर आ गई → वृद्ध जनसंख्या संकट → BRI पर वैश्विक प्रतिरोध, तकनीकी प्रतिबंध
लैटिन अमेरिका	→ वस्तु-आधारित विकास → लोकतांत्रिक प्रगति → ऋण स्तर उच्च किन्तु स्थिर (जीडीपी का ~60%)	→ 2023 में विकास दर धीमी होकर ~1.9% हो गई → पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील में राजनीतिक उथल-पुथल → उच्च मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्थिरता

Below are the top 10 countries with the highest public debt in 2025:

Rank	Country	General government gross debt (% of GDP)
1	Sudan	252%
2	Japan	234.9%
3	Singapore	174.9%
4	Greece	142.2%
5	Bahrain	141.4%
6	Maldives	140.8%
7	Italy	137.3%
8	United States	122.5%
9	France	116.3%
10	Canada	112.5%

Source: *IMF – World Economic Forum (April 2025)*

स्रोत: [The Hindu: From a rules-based world to shambolic disorder](#)

बंधुआ मजदूरी का जाल

संदर्भ

1 मई को, जबकि विश्व श्रमिकों और उनके अधिकारों के सम्मान के लिए **मजदूर दिवस** मनाता है, भारत में बंधुआ मजदूरी में फंसे लाखों लोगों का जीवन वास्तविकता का एक काला पक्ष दिखाता है।

भारत में बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक -

- **गरीबी और आर्थिक झटके:** चिकित्सा आपातस्थिति, दहेज या भोजन की कमी जैसी अचानक वित्तीय जरूरतें श्रमिकों को शोषणकारी ऋण लेने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे वे बंधुआ मजदूरी में धकेल दिए जाते हैं।
 - उदाहरण के लिए, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) के एक व्यक्ति ने 500 रुपये अग्रिम लिए और उसे 1,400 किलोमीटर दूर कर्नाटक ले जाया गया, जहां उसे गन्ने के खेत में कूर बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर होना पड़ा।
- **सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार:** जाति, जातीयता और धार्मिक पूर्वाग्रह हाशिए पर धकेले जाने को बढ़ाते हैं, जिससे शोषण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है।
- **शिक्षा और जागरूकता का अभाव:** निरक्षरता और खराब कानूनी साक्षरता श्रमिकों को अपने अधिकारों को समझने या सहायता मांगने से रोकती है।
- **अनौपचारिक रोजगार और नियोक्ता एकाधिकार:** अनौपचारिक क्षेत्रों में, नियोक्ता स्थानीय श्रम और ऋण बाजारों पर हावी होते हैं, तथा इस शक्ति का उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए करते हैं।
- **प्रवासन और जलवायु तनाव:** जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण संकट से प्रेरित प्रवासन, सामाजिक सुरक्षा के बिना शहरी केंद्रों में अनौपचारिक, शोषणकारी नौकरियों को जन्म देता है।

असंगठित श्रमिकों पर यूनियनीकरण की कमी का प्रभाव -

- **सामूहिक सौदेबाजी के लिए कोई मंच नहीं:** ट्रेड यूनियनों के बिना, श्रमिक सामूहिक रूप से उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्य स्थिति या उचित घंटों की मांग नहीं कर सकते।
- **शोषण और दुर्व्यवहार का अधिक जोखिम:** यूनियन समर्थन के अभाव में, श्रमिकों के शारीरिक दुर्व्यवहार, वेतन में देरी और अचानक बर्खास्तगी का खतरा अधिक होता है।
 - उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश का एक परिवार ईंट भट्टे में फंस गया, उसे मारपीट और मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, तथा कोई भी हस्तक्षेप करने या उनकी वकालत करने वाला नहीं था।
- **अधिकारों और हकों के बारे में कम जागरूकता:** अशिक्षा और प्रतिनिधित्व की कमी के कारण कई श्रमिक अपने कानूनी अधिकारों और उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं।

बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए सरकारी पहल -

- **बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976**
 - भारत में बंधुआ मजदूरी की प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया।
 - सभी बंधुआ ऋणों को शून्य घोषित किया गया तथा मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास का आदेश दिया गया।
- **बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (1978, संशोधित 2016)**
 - पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
 - शोषण की गंभीरता के आधार पर वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2016 में 1 लाख से 3 लाख रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया।
- **बचाए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा (2016)**
 - 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों को बचाने और पुनर्वास करने के लिए 15 साल (2030 तक) का लक्ष्य रखा गया है।
 - इसमें अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता और कौशल विकास के प्रावधान शामिल हैं।

- **सतर्कता समितियों की भूमिका:** 1976 अधिनियम के तहत पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए जिला और उप-मंडल स्तर पर इनका गठन किया जाना अनिवार्य है।

परिणाम और कमियाँ -

- **खराब कार्यान्वयन और बचाव दर:** 1.84 करोड़ के लक्ष्य के बावजूद 2016-2021 के बीच केवल 12,760 मजदूरों को बचाया गया।
 - 2030 तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 11 लाख बचाव की आवश्यकता है - जो वर्तमान गति से स्पष्ट रूप से अप्राप्य है।
- **कम रिपोर्टिंग और विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव:** कई राज्यों में बंधुआ मजदूरों की संख्या शून्य बताई गई है, जबकि जमीनी हकीकत इन दावों का खंडन करती है।
 - मामलों पर प्रभावी रूप से नज़र रखने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी डेटाबेस मौजूद नहीं है।
- **कमजोर सतर्कता तंत्र:** सतर्कता समितियाँ अक्सर केवल कागज पर ही मौजूद रहती हैं या नौकरशाही की उदासीनता के कारण निष्क्रिय रहती हैं।
- **अपर्याप्त पुनर्वास सहायता:** वित्तीय सहायता में देरी की जाती है या उसे देने से मना कर दिया जाता है; बचाए गए श्रमिक अक्सर आजीविका के विकल्प के अभाव में पुनः बंधुआ मजदूरी में फंस जाते हैं।
- **अनौपचारिक बलात् श्रम का बहिष्कार:** अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लाखों लोग बंधुआ मजदूरी जैसी स्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन वर्तमान बचाव नीतियों के तहत उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है।

आगे की राह -

- **बचाव तंत्र को मजबूत करना:** राज्य और केंद्रीय प्राधिकारियों के बीच समन्वय में सुधार करना।
- **सामाजिक सुरक्षा का विस्तार:** असंगठित श्रमिकों को बीमा, स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व लाभ प्रदान करना।
- **ट्रेड यूनियनवाद को पुनर्जीवित करना:** स्थानीय यूनियनों और कानूनी जागरूकता अभियानों के माध्यम से अनौपचारिक श्रमिकों को सशक्त बनाना।
- **ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना:** बंधन के मूल कारणों को दूर करने के लिए मनरेगा, ग्रामीण कौशल और जलवायु-अनुकूल नौकरियों का विस्तार करके पलायन को कम करना।
- **डेटा-संचालित नीति कार्रवाई:** बंधुआ मजदूरी के अनुमानों को अद्यतन करना तथा राष्ट्रीय श्रम सांख्यिकी में अनौपचारिक बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को शामिल करना।

स्रोत: [The Hindu: India's shame — the trap of bonded labour](#)

जाति जनगणना(Caste Census)

संदर्भ

केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है।

जाति जनगणना के बारे में -

- भारत में जाति आधारित जनगणना एक जनगणना है जो प्रत्येक व्यक्ति की जाति के बारे में डेटा एकत्र करती है।
- इस डेटा का उपयोग विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने और असमानताओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए किया जा सकता है।
- पहली जाति आधारित जनगणना 1881 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी।
- भारत सरकार ने 1931 के बाद से अपनी जनगणना में जाति के आंकड़े एकत्र नहीं किए हैं।
- 1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने 1951 की जनगणना में जाति के आंकड़े एकत्र करना बंद करने का फैसला किया।
- भारत 1951 में देश की आजादी के बाद से अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) पर अलग-अलग डेटा प्रकाशित करता है, अन्य जातियों के डेटा को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है।

जाति आधारित जनगणना का महत्व -

- जाति आधारित व्यापक आंकड़ों की कमी ने जाति आधारित असमानताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है।
- मौजूदा प्रशासनिक श्रेणियां - अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) - अक्सर विविध समूहों को सामान्यीकृत करती हैं, जिससे सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की जटिलताएँ छिप जाती हैं।
- जाति आधारित जनगणना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:
 - सटीक पहचान: इससे उन ओबीसी की पहचान करने में मदद मिलती है जिनके पास सकारात्मक कार्यवाई नीतियों में शामिल करने के लिए सत्यापन योग्य डेटा का अभाव है।
 - नीति सुधार: जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 27% आरक्षण सीमा का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग का समर्थन करता है।
 - समतामूलक संसाधन आबंटन: समुदाय के भीतर असमानताओं को उजागर करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।

वर्तमान परिदृश्य -

- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एसटी, एससी और ओबीसी परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) सामान्य श्रेणी की तुलना में काफी कम है।
 - वर्ष 2011-12 में, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए औसत एमपीसीई सामान्य श्रेणी की तुलना में काफी कम थी (क्रमशः 65%, 73% और 84%)।
 - इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में, एसटी, एससी और ओबीसी परिवारों के लिए औसत एमपीसीई भी सामान्य श्रेणी (क्रमशः 68%, 63% और 70%) की तुलना में कम थी।
- बहुआयामी गरीबी: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग की तुलना में बहुआयामी गरीबी की उच्च दर का अनुभव करते हैं।
 - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4/2015-16) के बहुआयामी गरीबी अनुमानों से पता चलता है कि अन्य (14.9%) की तुलना में एसटी (44.4%), एससी (29.2%), और ओबीसी (24.5%) के बीच गरीबी का अनुपात अधिक है।

- ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) के अनुमान एक समान पैटर्न दर्शाते हैं, जिसमें एसटी (50.6%), एससी (33.3%), और ओबीसी (27.2%) में अन्य (15.6%) की तुलना में गरीबी का अनुपात अधिक है।
- मुसलमानों को हिंदुओं (28%), ईसाइयों (16%) और अन्य धार्मिक समुदायों (15.7%) की तुलना में अधिक बहुआयामी गरीबी (31%) का सामना करना पड़ता है।
- **शिक्षा और रोजगार:** एनएसएस और पीएलएफएस के आंकड़ों से शिक्षा के स्तर और रोजगार की स्थिति में महत्वपूर्ण असमानताएं सामने आती हैं। सामान्य वर्ग में स्नातक और स्नातकोत्तर के साथ-साथ औपचारिक रोजगार का अनुपात अधिक है, जबकि एसटी, एससी और ओबीसी में आकस्मिक श्रम का प्रचलन अधिक है।

Education & Employment Indicators by Social Group

The table shows the Percentage distribution of persons by general education level, workers in usual status by broad status in employment, and employees in posts and services of the Central government

	ST	SC	OBC	GEN Source	Data
Percentage distribution of persons of age 7 years and above by general education level					
Literacy rate	69.6	72.4	76.9	85.9	Household Social Consumption on Education in India, NSS 75th Round (July 2017 - June 2018), NSO, MoSPI, Gol
Secondary Education	9.9	11.5	13.5	15.8	
Higher Secondary Education	6	7.7	9.4	12.8	
Graduate	3.3	4.1	5.9	12.3	
Post Graduate and above	0.7	0.9	1.2	3.4	
Percentage distribution of workers in usual status (ps+ss) by broad status in employment					
Regular wage/ Salaried	12.3	19.8	20.1	30.6	Periodic Labour Force Survey 2021-22, NSSO, MoSPI, Gol
Casual Labour	28.9	38.2	20	11.2	
Self-employed	58.8	42.1	59.9	58.2	
Percentage distribution of employees in posts and services of the Central Government					
Group A	5.9	13.0	16.6	64.6	Annual Report 2021-22, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Gol
Group B	7.1	16.8	16.7	59.5	
Group C	7.8	17.7	22.8	51.7	
Total	7.7	17.5	22.1	52.7	

- **सरकारी रोजगार:** केंद्र सरकार, जो कि औपचारिक क्षेत्र में एक प्रमुख नियोजक है, उसके कार्यबल में असमानताएं हैं, तथा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अनुपातहीन है।
 - जनवरी 2021 तक केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार:
 - केन्द्र सरकार ने 18.78 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया।
 - इन कर्मचारियों में से 52.7% सामान्य श्रेणी के थे।
 - सर्वाधिक योग्य और उच्चतम वेतन पाने वाले समूह (ग्रुप ए कर्मचारी) में 64% से अधिक कर्मचारी सामान्य श्रेणी से थे।

विपक्ष में तर्क -

- **मौजूदा सर्वेक्षण पर्याप्त हैं:** विरोधियों का तर्क है कि भारत की सामाजिक संरचना के उचित अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएस) जैसे विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों के माध्यम से पहले से ही उपलब्ध हैं।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:** विभिन्न जातियों (उप-जातियों) का विस्तृत विवरण सहित सम्पूर्ण जाति जनगणना आयोजित करना परिचालन संबंधी चुनौतियों को जन्म देगा, क्योंकि देश में सभी जातियों की कोई आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं है।
 - इससे जनगणना के बाद व्यापक वर्गीकरण कार्य की आवश्यकता होगी, जिससे सामान्य जाति तालिकाओं के जारी होने में संभावित देरी हो सकती है।
- **पहचान की राजनीति और सामाजिक अशांति:** इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि इस प्रकार की जनगणना से पहचान की राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है, जो संभवतः स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विकासात्मक मुद्दों पर हावी हो सकती है।

- इसके अलावा उच्च कोटा की मांग बढ़ने तथा आरक्षण पर वर्तमान 50% सीमा को हटाए जाने का भी भय है।
- **आरक्षण कोटे की चिंताएं:** कुछ लोग देशव्यापी जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या हिस्सेदारी का खुलासा होने से, जो मंडल आयोग द्वारा अनुमानित 52% से अधिक हो सकती है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग हो सकती है।

समर्थन में तर्क -

- **अधिक सटीक आंकड़े:** जाति जनगणना के समर्थकों का तर्क है कि एनएफएचएस और एनएसएसओ जैसे सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े अनुमान हैं, जबकि जनगणना में देश के प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक गणना शामिल होती है।
 - इसके अलावा, जनगणना प्रत्येक प्रगणित समूह के लिए शैक्षिक स्तर, व्यवसाय, घरेलू संपत्ति और जीवन प्रत्याशा सहित विभिन्न पहलुओं पर डेटा उत्पन्न करती है।
- **बेहतर नीति निर्माण:** जाति जनगणना से विभिन्न जाति समूहों की जनसंख्या, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी आवश्यकताओं के बारे में सटीक और अद्यतन आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिससे सकारात्मक कार्रवाई और पुनर्वितरणात्मक न्याय के लिए नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी।
 - इस परिप्रेक्ष्य को सर्वोच्च न्यायालय के इंदरा साहनी फैसले में समर्थन मिलता है, जिसमें विशेषाधिकार प्राप्त जातियों की पहचान करने के लिए हर दशक में ऐसे साक्ष्य एकत्र करने की आवश्यकता पर बल दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि वे आरक्षण का अनुपातहीन लाभ न उठा सकें।
- **सामाजिक अशांति को संबोधित करना:** हाल के वर्षों में जाट, पटेल और मराठा जैसे समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर महत्वपूर्ण लामबंदी देखी गई है, और कुछ मामलों में ये विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो गए हैं।
 - ओबीसी, एससी या एसटी समूहों की तुलना में इन समूहों के आकार और सापेक्षिक अभाव के स्तर के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जो सटीक जाति-आधारित आंकड़ों के महत्व को और अधिक रेखांकित करता है।
- **आरक्षण की कानूनी वैधता:** हाल के कानूनी घटनाक्रमों, जैसे 103वें संशोधन अधिनियम और 50% सीमा से आगे आरक्षण कोटा को वैध बनाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने ओबीसी आरक्षण के विस्तार की स्वाभाविक मांग को जन्म दिया है, क्योंकि 27% का आंकड़ा जनसंख्या अनुमानों पर आधारित नहीं था।
- **परिशुद्धता और निष्पक्षता:** ओबीसी श्रेणी के भीतर अलग-अलग जातियों की सटीक संख्या और अनुपात का पता लगाने के लिए पूर्ण जाति गणना ही एकमात्र तरीका है, जो आरक्षण और लाभों के निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

आगे की राह -

- **मौजूदा आंकड़ों का लाभ उठाना:** वर्तमान जाति आंकड़ों की उपयोगिता का मूल्यांकन एक अकादमिक प्रयास है जो सामाजिक असमानताओं का मानचित्रण करने और सामाजिक बदलावों की निगरानी पर केंद्रित है।
- **डेटा एकीकरण:** जनगणना डेटा की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए, इसे अन्य व्यापक डेटासेटों, जैसे कि एनएसएसओ (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय) या एनएफएचएस (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) के साथ एकीकृत और सिंक्रनाइज़ करना महत्वपूर्ण है।
 - ये डेटासेट उन क्षेत्रों को कवर करते हैं जो जनगणना में शामिल नहीं हैं, जैसे मातृ स्वास्थ्य, जिससे विश्लेषण का दायरा बढ़ जाता है।
- **स्थानीयकृत डेटा संग्रहण:** जाति और उपजाति संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर स्वतंत्र अध्ययन किए जाने चाहिए, जिससे स्थानीय जनसांख्यिकी की व्यापक समझ सुनिश्चित हो सके।
- **एसईसीसी से सीख:** पिछली सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) की गहन समीक्षा आवश्यक है।

- अधिक प्रभावी जनगणना के लिए पिछले अनुभवों से मूल्यवान सबक निकालना तथा आवश्यक सुधारों की पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **नीति कार्यान्वयन में सुविधा:** एक व्यापक जाति जनगणना भारत के सामाजिक ताने-बाने का समग्र दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है, तथा विभिन्न जाति समूहों के बीच परस्पर संबंधों और राष्ट्र की विविधता में उनके योगदान पर प्रकाश डाल सकती है।
 - जनगणना को राज्य सहायता लाभार्थियों के लिए बहिष्करण मानदंडों को संशोधित करने से आगे जाना चाहिए।
 - इसे नीति कार्यान्वयन को बढ़ाने और अकादमिक चिंतन को बढ़ावा देने के उपकरण के रूप में काम करना चाहिए।
- **राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का संचालन करना:** ओबीसी जनसंख्या अनुमानों में 41% से 46% तक के महत्वपूर्ण विचलन को देखते हुए, सटीक डेटा प्रदान करने के लिए एक व्यापक जाति जनगणना आवश्यक है।
- **प्रमुख जाति समूहों के बारे में चिंताओं का समाधान:** ओबीसी श्रेणी के भीतर अलग-अलग जातियों की संख्या और अनुपात को समझने से आरक्षण और लाभों के कुछ प्रमुख जाति समूहों तक ही सीमित हो जाने के बारे में चिंताओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।

स्रोत: [The Hindu: Analysing the 2023 caste-based Census of Bihar](#)

